कार्यालय भूमि अवाप्ति अधिकारी, नगर विकास परियोजनायें, जयपुर।
(जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर)

क्रमांक: भू.अ./नवि/91/ दिनांक: 12.6.91

मुकदमा नम्बर-

1. 582/88
2. 559/88
3. 565/88
4. 578/88
5. 584/88
6. 605/88
7. 607/88
8. 613/88
9. 624/88
10. 579/88
11.

विषय:- जयपुर विकास प्राधिकरण को अपने कार्यों के निर्वहन व विकास कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु ग्राम-मन्दीखानीपुरा एवं माण्यावास की भूमि अवाप्ति (सहित) स्वीकृत आवासन नगर योजना।

-: तथ्य है :-

उपरोक्त विकास कार्यों की भूमि की अवाप्ति हेतु राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 1) की धारा 4(1) के तहत क्रमांक प.4(15)नविआ/II/86 दिनांक 6.1.1986 तथा गजट प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 7 जुलाई, 1986 को कराया गया।

भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा 5-ए की रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजने के उपरान्त राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 6 का गजट प्रकाशन क्रमांक प.4(15)नविआ/3/87 दिनांक 20.7.87 का प्रकाशन राजस्थान राजपत्र में 30 जुलाई, 1987 को हुआ।

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग द्वारा जो धारा 6 का गजट प्रकाशन कराया गया उसमें ग्राम मन्दीखानीपुरा एवं माण्यावास तहसील सांगानेर की अवाप्तशुदा भूमि की स्थिति इस प्रकार बताई गई है:-

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास परियोजनाएं
जयपुर

....2.

क्र.सं.	मु.नम्बर	खसरा नम्बर	रकबा	नाम खातेदार
1	2	3	4	5
1.	582/88	111	04 - 12	श्री धीरपाल पि.मु.[illegible] आदि साकी ग्रा.देह
		112	00 - 14	
		113	01 - 12	
		128	02 - 13	
		129	01 - 05	
			10 - 16	
2.	559/88	1	04 - 09	श्री छोटू पुत्र मोहरसिंह आदि साकी ग्रा.देह
3.	565/89	12	22 - 18	श्री धीरपाल पिसर मु.मम्मार हि. 1/2, कुमारी देवी पुत्री मम्मार पिसर हनुमान हि. 1/2 आदि साकी ग्रा.देह
4.	598/88	134	03 - 11	श्री कमल सिंह, रामसिंह, बाबूसिंह, भगवान सिंह, कुमारसिंह पिसर कमल सिंह पिसर मोहनसिंह हि. 0/6 कुमारी देवी बेवा मोहन सिंह हि. 1/6 राजपूत ग्रा.देह
		135	02 - 02	
		137	05 - 19	
		138	00 - 09	
		139	00 - 12	
5.	559/88	2	06 - 08	श्री किशन पुत्र गोपाल आदि साकी ग्रा.देह
		3	00 - 02	
		10	04 - 12	
6.	603/39	149	00 - 02	श्री कमल सिंह, रामसिंह, बाबूसिंह, भगवान सिंह, कुमारसिंह पिसर मोहन सिंह, कुमारसिंह [illegible] बेवा मोहन सिंह पिसरान 1/2, [illegible] पिसर छोटू सिंह हि. 1/2 राजपूत
		150	00 - 04	
		159	00 - 08	
7.	607/88	153	04 - 02	श्री फूलचंद पुत्र कन्हैयालाल हि. 1/2, सुखा पुत्र महादेव 1/2 आदि साकी ग्रा.देह
		154/2	01 - 15	
		155	00 - 02	
		156	01 - 02	
		157	00 - 02	
		158	00 - 13	
		160	03 - 16	
8.	613/88	180	10 - 00	श्री हीरालाल, बालजी पिसर मुरारीलाल साकी, औरगा
9.	624/88	54	01 - 11	श्री छोटू पुत्र गोपाल आदि साकी ग्रा.देह
		55	06 - 08	
10.	579/88	80	00 - 04	श्री मोहन पुत्र रामेश्वर आदि साकी ग्रा.देह
		81	07 - 10	
		82	00 - 03	
		83	07 - 10	
		88	09 - 16	

मुकदमा नम्बर-582/88 खसरा नम्बर-111, 112, 113, 128, 129

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 111 रकबा 0 बीघा 12बिस्वा 112 रकबा 14बिस्वा, 113 रकबा 0 बीघा 12बिस्वा, 128 रकबा 0 बीघा 12बिस्वा 129 रकबा 0 बीघा 08बिस्वा भूमि श्री घीसया पि. मु. कमला पति माली वा. देह के नाम खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अर्जाप्त अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदार/हितधार को दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये थे तामील कुनिन्दा की तामील रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के परिवार के सदस्य को तामील [illegible] करायी गई थी। दिनांक 18.12.90 को दावेदार घीसया उपस्थित हुआ लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 8.2.91, 11.3.91, 18.3.91, 5.4.91, 22.4.91, 23.4.91, 7.5.91, 23.5.91, 30.5.91, को खातेदार घीसया की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 5.6.91 को श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने खातेदार घीसया की तरफ से क्लेम पेश किया।

श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने दिनांक 5.6.91 को जो क्लेम पेश किया है उसमें अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा 4,50,000/- रु० प्रति बीघा की दर से मांग की है। लेकिन उन्होंने साथ में कोई दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये है। इसी प्रकार से उन्होंने मकानों इत्यादि के रैन उपयोग के लिए 8 लाख रु० की मांग की है लेकिन उन्होंने इस क्लेम की पुष्टि में भी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये है। इसी प्रकार उन्होंने अवाप्ताधीन भूमि पर बने हुये बाड़ कोठ आदि की क्षतिपूर्ति की राशि 1,38,240/- तथा डोल, सीमेन्ट पाईप लाईन, नालियां, कच्चे धोरे व हो दियों आदि के 58,800/- की मांग की है। तथा उन्होंने अवाप्ताधीन भूमि पर लगे हुये पेड़-पौधों की क्षतिपूर्ति की राशि 5,000/- की मांग की है।

उक्त सभी मामलों में हितधार द्वारा जो क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिए ना तो कोई दस्तावेजात पेश किये है और ना ही कोई प्रमाणित तकनिकी तखमीने प्रस्तुत किये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुये दलील दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार के क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत है।

श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.91 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक को क्लेम एवं दस्तावेजात पेश करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब अनावश्यक रूप से और विलम्ब करना चाहते है। अभी अवार्ड 2 वर्ष की अवधि में पारित करने अनिवार्य है इसलिये अब आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम इस कथन से सहमत है।

श्री सत्य देव शर्मा को दिनांक 23.4.91, 5.7.91, 23.5.91, 30.5.91 को समय दिये जाने के उपरान्त भी क्लेम पेश नहीं किया एवं दिनांक 5.6.91 को जो क्लेम पेश किया उसके साथ दस्तावेजात पेश नहीं किये। फिर भी उन्हें अवार्ड पारित की तिथि से पूर्व कोई दस्तावेजात पेश कर देने चाहिये थे जो नहीं किये। इसलिये उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.91 खारिज किया जाता है। श्री सत्य देव शर्मा ने दिनांक 12.6.91 को एक प्रार्थना पत्र और इस बाबत प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम का कोई लिखित में जवाब नहीं दिया है

....

इसलिये जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को आदेश दिया जाये कि वो जवाब प्रस्तुत करें। मिसल में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जब तक जयपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिए आदेश दिया जाये अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

मुकदमा नम्बर- 337/90 - खसरा नम्बर- 1 [illegible]

धारा 6 के बाद नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 1 [illegible] श्री [illegible] पुत्र [illegible] जाति माली आ० [illegible] के नाम खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस दिनांक [illegible] को जारी किये गये। जो तामील कुनिन्दा की रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदारान के परिवार के सदस्यों को तामील कराये गये। दिनांक 18.12.90 को खातेदारान [illegible] किशन, [illegible] व हरि [illegible] उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 11.1.91 को खातेदार [illegible] व [illegible] उपस्थित हुये। दिनांक [illegible].91, 11.3.91, 18.3.91, 8.4.91, 22.4.91, 29.4.91, को भी खातेदार/खातेदारान की तरफ से श्री अरुण देव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 8.5.91 को दैनिक [illegible] एवं [illegible] टाईम्स में भी धारा 9 एवं 10 के नोटिस प्रकाशन [illegible] दिनांक [illegible].91 [illegible]। जिसकी तामील सूचना प्रकाशन हुई। दिनांक 7.5.91 को श्री अरुण देव शर्मा अभिभाषक खातेदारान/हितधारान की तरफ से दिनांक 23.5.91, 30.5.91, एवं 6.6.91 को भी उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 12.6.91 को श्री अरुण देव शर्मा अभिभाषक ने खातेदार [illegible] की तरफ से क्लेम पेश किया।

श्री अरुण देव शर्मा अभिभाषक ने जो दिनांक 12.6.91 को क्लेम पेश किया है उसमें अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 8,50,000/- रु० प्रति बीघा की दर से मांग की गई। लेकिन उन्होंने साथ में कोई दस्तावेजात साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने पानी देने के लिये खेत में [illegible] पाईप लाईन, पक्की नालियाँ, कच्चे और [illegible] आदि की क्षतिपूर्ति राशि 4,44,000/-रु० की मांग की है। तथा उन्होंने अवाप्तशुदा भूमि पर लगे पेड़-पौधों की क्षतिपूर्ति राशि 3,29,000/-रु० की मांग की है।

उक्त सभी मामलों में हितधारी द्वारा जो क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिये न तो कोई दस्तावेजात पेश किये हैं और न ही कोई प्रमाणित जानकारी उन्होंने प्रस्तुत किये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुये कथन दिया है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार का क्लेम में मांग व राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं।

श्री अरुण देव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.91 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि श्री अरुणदेव शर्मा अभिभाषक को व हितधारी को दस्तावेजात पेश करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये, लेकिन उन्होंने क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब अनावश्यक रूप से और विलम्ब करना चाहते हैं। जबकि अवार्ड 2 वर्ष की अवधि में पारित करना अनिवार्य है इसलिये अब आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम इस कथन से सहमत हैं।

श्री अरुण देव शर्मा को दिनांक 7.5.91, 23.5.91, 30.5.91 एवं 6.6.91 को पर्याप्त समय दिये जाने पर भी क्लेम पेश नहीं किया दिनांक 12.6.91 को जो क्लेम पेश किया उसके साथ दस्तावेजात पेश नहीं किये। फिर भी उन्हें अवार्ड पारित की तिथि से पूर्व कोई दस्तावेजात पेश कर देने चाहिये थे जो नहीं किये। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र

....

दिनांक 12.6.91 खारिज किया जाता है। श्री सत्यदेव शर्मा ने दिनांक 15.6.91 को एक प्रार्थना-पत्र और इस बाबत प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम का कोई लिखित में उत्तर नहीं दिया है इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को आदेश दिया जावे कि वे इसका उत्तर प्रस्तुत करें। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिए बाध्य किया जावे। अतः यह प्रार्थना-पत्र भी खारिज किया जाता है।

मुकदमा नम्बर 563/93 खसरा नं. 12 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा :-

धारा 6 के अन्तर्गत नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 12 रकबा 22 बीघा 18 बिस्वा की चौथमल पिता मु. मन्ना नम्बर हि. 1/2 गुलाब देवी पुत्री मन्ना पिता सुखराम हि. 1/2 जाति माली सा.दे. के नाम खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के नोटिस खातेदारान/हितदारान को दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये, जो तामील कुनिन्दा की इत्तला रिपोर्ट के अनुसार खातेदार/हितदार के परिवार के सदस्य को तामील कराये गये। दिनांक 18.12.90, 11.1.90 को खातेदार चौथमल व धन्नालाल उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 8.2.91, 11.3.91, 16.3.91, 5.4.91, 22.4.91, 23.4.91, 7.5.91, 23.5.91, 30.5.91 एवं 5.6.91 को श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक खातेदारान की तरफ से उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 12.6.91 को श्री सत्यदेव शर्मा ने उपस्थित होकर क्लेम पेश किया।

श्री सत्यदेव शर्मा ने दिनांक 12.6.91 को जो क्लेम पेश किया, है उसमें अवाप्ति अधीन भूमि में से 22 बीघा 18 बिस्वा [illegible] में से 12 बीघा 18 बिस्वा भूमि का ही क्लेम पेश किया है। लेकिन शेष रकबा 10 बीघा का क्लेम पेश नहीं किया गया है। राजस्थान राजपत्र में इन्हीं खातेदारों के नाम खातेदारी में दर्ज है। अतः पेश रकबे का अवार्ड भी इन्हीं खातेदारों के नाम जारी किया जा रहा है।

श्री सत्यदेव शर्मा ने जो क्लेम पेश किया है उसमें भूमि का मुआवजा 4,50,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से मांग की है। लेकिन उन्होंने साथ में कोई दस्तावेजात इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने मकानों इत्यादि के उपयोग के लिये 8 लाख रुपये की मांग की है। लेकिन उन्होंने इस क्लेम की पुष्टि में भी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं। इसी प्रकार उन्होंने कुऐ, बोरिंग, बिजली के खम्भ, पाइप लाईन आदि की क्षति-पूर्ति राशि- 51,683/- की मांग की है एवं ढोल, कुंआ, सिमेंट पाइप लाईनें, पक्की नालियां, कच्चे धोरे व हौदियों की क्षति-पूर्ति की राशि 1,24,000/- की मांग की है एवं अवाप्ति अधीन भूमि में पर लगे हुये पेड़-पौधों की क्षति-पूर्ति की राशि 37,000/- की मांग की है।

उक्त सभी मामलों में हितदार द्वारा जो क्लेम की राशि की मांग की है उनके लिए ना तो कोई दस्तावेजात पेश किये हैं और ना ही कोई प्रमाणित तखमीने प्रस्तुत किये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुये दलील दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार का क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं।

श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 15.6.91 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक को क्लेम एवं दस्तावेजात पेश करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब वह अनावश्यक रूप से और विलम्ब करना चाहते हैं। अभी अवार्ड 2 वर्ष की अवधि में पारित करना अनिवार्य है इसलिये अब आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम इस कथन से सहमत हैं।

श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक को दिनांक 16-3-91, 5-4-91, 22-4-91, 23-4-91, 7-5-91, 30-5-91, 3-6-91 को समय दिये जाने के उपरान्त भी क्लेम पेश नहीं किया एवं दिनांक 12-6-91 को जो क्लेम पेश किया उसके साथ दस्तावेजात पेश नहीं किये। फिर भी उन्हें अवार्ड पारित की तारीख से पूर्व कोई दस्तावेजात पेश कर देने चाहिये थे वो नहीं किये। इसलिए उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 12-6-91 खारिज किया जाता है। श्री सत्यदेव शर्मा ने दिनांक 12-6-91 को एक प्रार्थना-पत्र और इस आशय प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम पर कोई लिखित में उत्तर नहीं दिया है। इसलिये जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को बाध्य किया जावे कि उसका उत्तर प्रस्तुत करें। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिये बाध्य किया जावे। अतः यह प्रार्थना-पत्र भी खारिज किया जाता है।

मुकदमा नम्बर 578/88 खसरा नं. 134 3 बीघा 11 बिस्वा 135 2 बीघा 2 बिस्वा 137, 5 बीघा 19 बिस्वा, 138, 9 बिस्वा 139, 12 बिस्वा :-

---

धारा 6 के तहत [illegible] डिक्लेरेशन में श्री रूपसिंह, रामसिंह, बाबूसिंह, भगवान सिंह, हनुमानसिंह पिता [illegible] सिंह पिसर जीवनसिंह हिस्सा 5/6 व [illegible] मोहन सिंह 1/6 [illegible] के नाम खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 व 10 के [illegible] दिनांक 9-11-88 को जारी किये गये जो [illegible] की हलफिया रिपोर्ट के [illegible] मौके पर सभी खातेदार [illegible]। सभी खातेदार [illegible] रहते हैं [illegible]। दिनांक 13-03-91, 15-3-91, 5-4-91, 22-4-91, 23-4-91 को खातेदार की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक उपस्थित होते रहे लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 29-4-91 को खातेदारान की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुये। अतः धारा 9 व 10 के नोटिस दिनांक 9-5-91 को नवभारत टाइम्स [illegible] दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशन कराये गये [illegible]। दिनांक 30-5-91 को खातेदारान की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 6-6-91 को श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक ने रामसिंह, बाबूसिंह, भगवानसिंह, हनुमानसिंह की तरफ से क्लेम पेश किया।

श्री सत्यदेव अभिभाषक ने जो दिनांक 3-6-91 को क्लेम पेश किया है उसमें अवाप्ति अधीन भूमि का मुआवजा [illegible],000/- रुपये प्रति बीघा की दर से मांग की है लेकिन उन्होंने साथ में कोई दस्तावेजात [illegible] नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने मकानों, आदि के उपयोग के लिये 10 लाख [illegible] की मांग है; लेकिन उन्होंने इस क्लेम की पुष्टि में भी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं।

इसी प्रकार उन्होंने अवाप्ति अधीन भूमि पर जो कुवें, बोरिंग, बिजली के पम्प, पाइप लाईन, लेकिन [illegible] क्षतिपूर्ति राशि 6,24,600/- रु. तथा भूमि पर चारों तरफ की बोर्ड और [illegible] सीमेंट पाइप लाइन, पक्की नालियां, कच्चे धोरे व क्यारियों की कीमत 39,000/- रु. [illegible] की है। अवाप्ति अधीन भूमि पर लगे पेड़-पौधों की क्षतिपूर्ति की राशि [illegible] रु. की मांग की है।

उक्त सभी [illegible] खातेदार द्वारा जो [illegible] की राशि की मांग की है उसके लिए न तो कोई [illegible] किये हैं और न ही कोई [illegible] उन्होंने प्रस्तुत किये हैं। [illegible] प्राधिकरण के अभिभाषक [illegible] मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का [illegible] है कि [illegible] कोई साक्ष्य के इस प्रकार [illegible] कोई औचि[illegible] है। अतः जयपुर विकास प्राधिकरण [illegible]

श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12-6-91 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जावे। इस प्रार्थना पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक को क्लेम एवं दस्तावेजात पेश करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब अनावश्यक रूप से और विलम्ब कराना चाहते हैं। अभी अवार्ड 2 वर्ष की अवधि में पारित करने अनिवार्य है इसलिये अब आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम इस कथन से सहमत हैं।

श्री सत्यदेव शर्मा को दिनांक 18-2-91, 5-4-91, 22-4-91, 30-5-91 को समय दिये जाने के उपरान्त भी क्लेम पेश नहीं किया एवं दिनांक 5-6-91 को जो क्लेम पेश किया उसके साथ दस्तावेजात पेश नहीं किये। फिर भी उन्हें अवार्ड पारित की तिथि से पूर्व कोई दस्तावेजात पेश कर देने चाहिये थे जो नहीं किये। इसलिये उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 12-6-91 खारिज किया जाता है। श्री सत्यदेव शर्मा ने दिनांक 12-6-91 को एक प्रार्थना-पत्र और इस आशय प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम का कोई लिखित में उत्तर नहीं दिया है इसलिये जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को बाध्य किया जावे कि वे इसका उत्तर प्रस्तुत करें। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिये बाध्य किया जावे। अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है।

खसरा नम्बर 554/55 धारा नम्बर 10,2,3:

धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 2 रकबा 6 बीघा, 3 रकबा 2 बिस्वा, 10 रकबा 4 बीघा 12 बिस्वा की किस्म [illegible] के नाम खातेदारी में दर्ज थी। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितधारान को दिनांक 9-11-90 को जारी किये गये। तामील कुनिन्दा की तामील रिपोर्ट के अनुसार मौके पर खातेदार के न मिलने पर उनके परिवार के सदस्यों को नोटिस तामील कराये गये। दिनांक 18-12-90 को खातेदारान [illegible], सेवा, बुधाराम पुत्र [illegible] व बिरधा उपस्थित हुये। लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 11-1-91 को खातेदार बिरधा, सेवा, पेमा उपस्थित हुये। एवं दिनांक 8-2-91, 11-3-91, 18-3-91, 5-4-91, 22-4-91, 7-5-91, 29-5-91 एवं 30-5-91 को खातेदारान की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक उपस्थित होते रहे लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 12-6-91 को खातेदार बिरधा की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक ने क्लेम पेश किया [illegible] सेवा, मोहन, [illegible], पेमा, [illegible] ने अपने पक्ष में कोई क्लेम एवं दस्तावेजात पेश नहीं किये। अतः इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

श्री सत्यदेव शर्मा ने दिनांक 12-6-91 को जो क्लेम पेश किया है उसमें अवाप्ति अधीन भूमि का मुआवजा 4,50,000/- रु. प्रति बीघा की दर से मांग की है। लेकिन उन्होंने साथ में कोई दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने मकानों, इत्यादि के अवाप्ति के लिये 12 लाख रुपये की मांग की है लेकिन उन्होंने इस क्लेम की पुष्टि में भी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं। इसी प्रकार से उन्होंने कुवें, बोरिंग, बिजली के पम्प आदि की क्षतिपूर्ति राशि 3,36,000/- रु. की मांग की है एवं वार्षिक [illegible], [illegible] आदि की क्षतिपूर्ति [illegible] की मांग की है तथा उन्होंने अवाप्ति अधीन भूमि [illegible] की क्षतिपूर्ति राशि 4,60,000/- रु. की मांग की है।

प्रमाणित प्रतिलिपि

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास [illegible]
जयपुर

उक्त सभी मामलों में खातेदारान को क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिए न तो कोई दस्तावेजात पेश किये हैं और न ही कोई प्रामाणिक जानकारी सबूत में प्रस्तुत किये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री डी० पी० मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुये दलील दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार का क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं। इन्होंने क्लेम में जो [illegible] राशि क्लेम की है वह [illegible] है।

श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.6.91 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जावे। इस प्रार्थना-पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक को क्लेम एवं दस्तावेजात पेश करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब अनावश्यक रूप से और विलम्ब करना चाहते हैं। जबकि अवार्ड 2 वर्ष की अवधि में पारित करना अनिवार्य है इसलिये अब आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम इस कथन से सहमत हैं।

श्री सत्यदेव शर्मा को दिनांक 23.4.91, 7.5.91, 23.5.91, 30.5.91, 5.6.91 को समय दिये जाने के उपरान्त भी क्लेम पेश नहीं किया एवं दिनांक 12.6.91 को जो क्लेम पेश किया उसके साथ दस्तावेजात पेश नहीं किये। फिर भी उन्हें अवार्ड पारित की तिथि से पूर्व कोई दस्तावेजात पेश कर देने चाहिये थे जो नहीं किये। इसलिए उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.6.91 खारिज किया जाता है। श्री सत्यदेव शर्मा ने दिनांक 12.6.91 को एक प्रार्थना पत्र और इस आशय का प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम का कोई लिखित उत्तर नहीं दिया है।

इसलिए जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को बाध्य किया जावे कि वे इसका उत्तर प्रस्तुत करें। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिये बाध्य किया जावे। अतः यह प्रार्थना-पत्र भी खारिज किया जाता है।

मुकदमा नम्बर 835/83 खसरा नम्बर 149 रकबा 2 बिस्वा, ख.न. 150, 4 बिस्वा 159 रकबा 8 बिस्वा :-

---

धारा 6 के नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 149 रकबा 2 बिस्वा, 150 रकबा 4 बिस्वा, 159 रकबा 8 बिस्वा श्री लक्ष्मण सिंह, रामसिंह, भानुसिंह, भगवान सिंह हनुमानसिंह पिता मोहनसिंह, कुमारसिंह पुत्र [illegible] मोहनसिंह हिस्सा 1/2 [illegible] [illegible] सिंह हिस्सा 1/2 राजपूत के नाम खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितधारान को दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये। तामिल कुनिन्दा की कार्यवाही रिपोर्ट के अनुसार खातेदार भानुसिंह को नोटिस तामिल कराये गये। खातेदारान की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक [illegible] दिनांक 14.2.91 को उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 15.3.91, 5.4.91, 22.4.91 को भी श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक खातेदारान की तरफ से उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 29.4.91 को खातेदारान की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुये। अतः दिनांक 7.5.91 को नवभारत टाइम्स एवं दैनिक [illegible] समाचार पत्रों में धारा 9, 10 के नोटिस प्रकाशित कराये गये ~~एवं दिनांक 29.4.91 को रजिस्टर्ड ए.डी. व तामिल कुनिन्दा द्वारा नोटिस तामील हेतु जारी किये~~ गये। दिनांक 30.5.91 को भी सत्यदेव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 5.6.91 को खातेदारान की तरफ से श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक ने

खातेदारान रामसिंह , बाबूसिंह, भगवान सिंह एवं हनुमान सिंह की तरफ से क्लेम पेश किया।

श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक ने दिनांक 8.6.91 को जो क्लेम पेश किया है उसमें अवाप्ति अधीन भूमि का मुआवजा 4,50,000/- प्रति बीघा की दर से मांग की है। लेकिन उन्होंने साथ में कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं। इसी प्रकार उन्होंने मकानों इत्यादि के उपयोग के लिये 10 लाख रुपये की मांग की है लेकिन उन्होंने इस क्लेम की पुष्टि में भी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं। इसी प्रकार उन्होंने अवाप्ति अधीन भूमि पर बने कुएं, उसमें बोरिंग, टिनशेड के कमरे, स्थाई रूप से लगाई गई ड्रम पाइप लाइनें, बैंक आदि की क्षति पूर्ति राशि 71,700/- रु. की मांग की है। एवं खेल, कुआ, सीमेंट पाइप लाइन, पक्की नालियां कच्चे चौरे और कोठियों की क्षति-पूर्ति राशि 15,100/- रु. की मांग की है तथा उन्होंने अवाप्ति अधीन भूमि पर लगे हुये पेड़-पौधों की क्षति पूर्ति की राशि 27,100/- रु. की मांग की है।

उक्त सभी मामलों में हितबद्धकारान ने क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिए न तो कोई दस्तावेजात पेश किये हैं और न ही कोई प्रमाणित साक्ष्य गवाहों ने प्रस्तुत किये हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के. पी. मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम से असहमति प्रकट कर विरोध करते हुये बताया था कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार का क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है। हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं।

श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.6.91 प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जावे। इस प्रार्थना-पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि श्री सत्यदेव शर्मा अभिभाषक को क्लेम एवं दस्तावेजात पेश करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब अनावश्यक रूप से और विलम्ब करना चाहते हैं। अभी अवार्ड 2 वर्ष की अवधि में पारित करना अनिवार्य है इसलिए अब आगे समय दिया जाना न्यायोचित नहीं है। हम इस कथन से सहमत हैं।

श्री सत्यदेव शर्मा को दिनांक 15.3.91, 3.4.91, 22.4.91, 30.5.91, को समय दिये जाने के उपरान्त भी क्लेम पेश नहीं किया एवं दिनांक 8.6.91 को जो क्लेम पेश किया उसके साथ दस्तावेजात पेश नहीं किये। फिर भी उन्हें अवार्ड पारित की तिथि से पूर्व कोई दस्तावेजात पेश कर देने चाहिये थे, जो नहीं किये। इसलिए उनका प्रार्थना-पत्र दिनांक 12.6.91 खारिज किया जाता है। श्री सत्यदेव शर्मा ने दिनांक 12.6.91 को एक प्रार्थना - पत्र और इस आशय प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम का कोई [illegible] में उत्तर नहीं दिया है।

इसलिये जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को बाध्य किया जावे कि इसका उत्तर प्रस्तुत करे। नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को इसके लिए बाध्य किया जावे। अतः यह प्रार्थना-पत्र भी खारिज किया जाता है।

अन्य खातेदार [illegible] सिंह, कुमार [illegible] मोहन सिंह, [illegible] सिंह ने क्लेम पेश नहीं किया। अतः उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

जयपुर

मुकदमा नम्बर 607/88 खसरा नम्बर- 153 रकबा 4बीघा 8बिस्वा, 154/2 रकबा 1बीघा 13बिस्वा, 155 रकबा 8बिस्वा, 156 रकबा 1बीघा 8बिस्वा, 157 रकबा 8बिस्वा, 159 रकबा 13बिस्वा, 160 रकबा 16बिस्वा:

- -

धारा 6 के तहत नोटिफिकेशन में खसरा नं० 153, 154/2, 155, 156, 157, 159 व 160 की भूमि को मुकदमा पुत्र कन्हैयालाल 1/2, एवं पुत्र मदनलाल 1/2 जाति माली सा० ... के नाम खातेदारी में दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदारान/हितबद्धगण को दिनांक: 7.11.90 को जारी किये गये व जो तामील पुनिन्दा की तामील रिपोर्ट के अनुसार नोटिस खातेदारान को या नोटिस चौकी पर लगाकर छहियालाल व रामेश्वर दोनो पुत्र ... की कि खातेदार का मृत्यु है, को तामील कराये गये, जिससे उक्त खातेदारान की तरफ से भी सम्बन्धित एवं अभिभाषक दिनांक 18.2.91 को उपस्थित हुये। दिनांक 19.3.91, 2.4.91, 22.4.91, 23.4.91, 7.5.91, 23.5.91, 30.5.91, एवं 2.6.91 को भी यो सम्बन्धित एवं अभिभाषक उपस्थित होते रहे लेकिन क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 12.6.91 को खातेदारान की तरफ से भी सम्बन्धित एवं अभिभाषक ने खसरा नं० 153, 154/2, 155, 156, 157, 159 व 160 का क्लेम मुकदमा की ओर से पेश किया एवं उक्त खसरा नम्बरान में से खसरा नम्बर 153 का क्लेम भी मुकदमा की तरफ से पेश किया है।

अब श्री सम्बन्धित शर्मा ने जो दिनांक 12.6.91 को खातेदार मुकदमा का क्लेम पेश किया है उसमें अवाप्तशुदा भूमि के मुआवजे की दर 4,50,000/- प्रति बीघा की दर से मांग की है लेकिन उन्होंने साथ में कोई दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये। इसी प्रकार से उन्होंने मकानों इत्यादि के उपयोग के लिये 1लाख रुपये की मांग की है। लेकिन उन्होंने इस क्लेम की पुष्टि में भी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये है। इसी प्रकार उन्होंने अवाप्तशुदा भूमि में लगे कुंए, फिटिंग्स के पम्प, पाईप लाइनें, टैंक आदि की क्षतिपूर्ति राशि 1,87,000/-रु० की मांग की है एवं सीमेंट पाईप लाईन एकोडान/फिल्म, कच्चे कोटे और ... का कुल 24,500/-रु० की मांग की है। फिर उन्होंने अवाप्तशुदा भूमि पर लगे हुये पेड़-पौधों की क्षतिपूर्ति की राशि 30,300/- रु० की मांग की है।

इसी प्रकार खातेदार मुकदमा का क्लेम खसरा नम्बर 153 रकबा 4बीघा 8बिस्वा का जो पेश किया है उसमें भी अवाप्तशुदा भूमि का मुआवजा 4,50,000/- प्रति बीघा की दर से मांग की है लेकिन कोई दस्तावेजात आदि पेश नहीं किये है। इसी प्रकार उन्होंने अवाप्तशुदा भूमि पर लगे कुंए एवं टैंक आदि की क्षतिपूर्ति राशि 1,67,000/-रु० की मांग की है एवं सीमेंट पाईप लाईन, टैंक आदि की क्षतिपूर्ति राशि 1,67,000/-रु० की मांग की है एवं सीमेंट पाईप लाईन,

...11.

छोड़, पाटियां, कच्ची छतें व कोठियों आदि की क्षतिपूर्ति राशि 31,600/- रु० की मांग की है तथा उन्होंने अवाप्तशुदा भूमि पर लगे हुये पेड़-पौधों की क्षतिपूर्ति की राशि 27,400/- रु० की मांग की है । खातेदारान प्रार्थी ने पृथक से अपने क्लेम अलग-अलग प्रस्तुत किये हैं । श्री मुकुन्द ने अपने क्लेम में जिन खसरा नम्बरान का क्लेम मांगा है उनमें से केवल एक खसरा नम्बर 153 का क्लेम खातेदार की पृथक से भी पेश किया है । लेकिन दोनों में से किसी ने भी भूमि के किसी के बारे में कुछ भी अंकित नहीं किया है । क्लेम के साथ में प्रार्थीगण ने कोई राजस्व संबंधी रिकॉर्ड भी प्रस्तुत नहीं किया है जबकि राजस्व में अंकित खसरा नम्बरान में दोनों का अलग-अलग हिस्सा दर्शाया गया है । अतः मुआवजे का निर्धारण राजस्व के मुताबिक ही किया जा रहा है ।

उक्त सभी मामलों में कि खातेदारान द्वारा जो क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिए ना तो कोई दस्तावेजात पेश किये हैं और ना ही कोई प्रमाणित तकनीकी साक्ष्य प्रस्तुत किये हैं । जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री [illegible] ने क्लेम का विरोध करते हुये बयान दी है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार का क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है । हम जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक के कथन से सहमत हैं । उन्होंने क्लेम में जो अधिक राशि की मांग की है वह अस्वीकार है ।

श्री [illegible] अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.91 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर और दिया जावे । इस प्रार्थना पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक का कथन है कि श्री [illegible] अभिभाषक को क्लेम एवं दस्तावेजात पेश करने के लिए पूर्व में कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब अनावश्यक रूप से और विलम्ब करना चाहते हैं अतः इनको 3 वर्षों के अर्से में दायित्व करने का अधिकार है [illegible] अवसर दिया जाना न्यायोचित नहीं है । हम इस कथन से सहमत हैं ।

श्री [illegible] अभिभाषक को अनेक अवसर दिये जाने पर भी क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है । एवं दिनांक 12.6.91 को जो क्लेम पेश किया उसके साथ दस्तावेजात पेश नहीं किये हैं । जो कि अवार्ड पारित करने से पूर्व पेश कर देने चाहिये थे । श्री [illegible] ने 12.6.91 को जो एक प्रार्थना पत्र इस आशय प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को प्रस्तुत क्लेम पर लिखित में जवाब देने हेतु पाबन्द किया जावे । नियमों में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को उसके लिए पाबन्द किया जावे । अतः उक्त दोनों प्रार्थना पत्र खारिज किये जाते हैं ।

उपायुक्त भूमि अवाप्ति

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

मुकदमा नम्बर-613/88 खसरा नम्बर- 180 रकबा 10बीघा

धारा 6 के गजट नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 180 रकबा 10बीघा श्री भौरीलाल, रामकरणी पिता छुट्टालाल साकिन ... के नाम खातेदारी में दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदा-रान/हितधारान को दिनांक 9.11.90 को जारी किये गये जो तामील कुनिन्दा की तामिली रिपोर्ट के अनुसार खातेदार के नहीं मिलने पर खातेदार का मकान निशानदेह कर नोटिस तामील कराया गया जिसके तहत खातेदार की तरफ से श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक दिनांक 13.2.91, 13.3.91, 15.4.91, 22.4.91 23.4.91, को उपस्थित होते रहे लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । दिनांक 29.4.91 को धारा 9 एवं 10 के नोटिस जारी किये गये । एवं दिनांक 9.5.91 को धारा 9 एवं 10 के नोटिस नवभारत टाईम्स एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये गये । दिनांक 30.5.91 को खातेदार की तरफ से श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । दिनांक 12.6.91 को श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने उपस्थित होकर क्लेम पेश किया ।

श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने दिनांक 12.6.91 को जो क्लेम पेश किया है उसमें अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा 4,50,000/- रु0 प्रति बीघा के हिसाब से मांग की है । इसके अतिरिक्त मकानात आदि उपयोग के लिए 10लाख रुपये, कुऐ बोरिंग, बिजली के खम्बे, स्थायी रूप से लगाई गई पाईप लाईनें, मजदूरों के आवास हेतु बनाये गये टैंका आदि का मूल्य 123000/- की मांग की है । एवं भूमि के चारों तरफ डोल और पूल, पानी देने के लिए सीमेन्ट पाईप लाईन, पक्की नालियां, कच्चे और और होजियों की क्षतिपूर्ति राशि 31000/- रु0 की मांग की है । इसी प्रकार पेड़-पौधों की क्षतिपूर्ति राशि 26200/- रु0 की मांग की है ।

उक्त सभी मामलों में हितधार द्वारा जो क्लेम की राशि की मांग की है उसके लिए ना तो कोई दस्तावेजात पेश किये है और ना ही कोई रजिस्टर्ड वेल्युअर से प्रमाणित तखमीने प्रस्तुत किये है । जयपुर विकास प्राधिकरण अभिभाषक श्री के.पी. मिश्रा ने प्रस्तुत क्लेम का विरोध करते हुये बहस की है कि बिना किसी दस्तावेजी साक्ष्य के इस प्रकार के क्लेम में मांगी गई राशि का कोई औचित्य नहीं बनता है । हम जयपुर विकास प्राधिकरण अभिभाषक के तर्क से सहमत है । इन्होंने क्लेम में जो अधिक राशि दर्शाई है वह अस्वीकार है ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.91 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उन्हें दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर

भूमि अवाप्ति अधिकारी
जयपुर

ओर किया जावे । इस प्रार्थना पत्र पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक ने कहा है कि श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक को क्लेम एवं दस्तावेजात पेश करने के लिए पूर्व में भी कई अवसर दिये गये लेकिन उन्होंने क्लेम पेश करने में अनावश्यक विलम्ब किया है और अब आवश्यक रूप से और विलम्ब सहना जा सके है । सभी अवार्ड 2 वर्ष की अवधि में पारित करने अनिवार्य है इसलिये अब अतिरिक्त दिया जाना न्यायोचित नहीं है । हम इस कथन से सहमत है । और अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है ।

श्री सत्य देव शर्मा अभिभाषक को दिनांक 13.2.91, 13.3.91, 15.4.91, 22.4.91, 23.4.91, 30.5.91, को समय दिये जाने के उपरान्त भी क्लेम पेश नहीं किया एवं दिनांक 12.6.91 को जो क्लेम पेश किया उसके साथ दस्तावेजात पेश नहीं किये । फिर भी उन्हें अवार्ड पारित की तिथि से पूर्व दस्तावेजात पेश कर देने चाहिये थे जो नहीं किये । इसलिये उनका प्रार्थना पत्र दिनांक 12.6.91 खारिज किया जाता है । श्री सत्य देव शर्मा ने दिनांक 12.6.91 को एक प्रार्थना पत्र और इस आशय का प्रस्तुत किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण ने उनके द्वारा प्रस्तुत क्लेम का कोई लिखित में उत्तर नहीं दिया है । इसलिये जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक को आदेश दिया जावे कि वो अपना उत्तर प्रस्तुत करें । निगाह में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जयपुर विकास प्राधिकरण को उत्तर के लिए बाध्य किया जावे । अतः यह प्रार्थना पत्र भी खारिज किया जाता है ।

श्री सत्य देव शर्मा ने जो क्लेम पेश किया है वह खातेदार भागीरथ व लक्ष्मी की पत्नि आनन्दी देवी के अतिरिक्त गणेश नारायण, रामअवतार शास्त्री, किशन सेनी के हस्ताक्षरों से भी पेश किया है । हम यहाँ खातेदार भागीरथ व लक्ष्मी की पत्नि आनन्दी देवी के अलावा अन्य को हिस्सेदार व्यक्ति तो मानते है लेकिन इन्होंने अपने स्वामित्व संबंधी कोई दस्तावेजात पेश नहीं किये है इसलिये मुआवजे की राशि का निर्धारण यहाँ इनके नाम से नहीं किया जा रहा है । इन्हें मुआवजा राशि का भुगतान स्वामित्व संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा ।

.....

प्रमाणित प्रतिलिपि

भू. अवाप्ति अधिकारी
... विकास योजनाएँ
जयपुर

355

मुआवजा [illegible] खसरा नम्बर- 34 रकबा 0 बीघा 1 बिस्वा खसरा नम्बर 35 रकबा 0 बीघा 0 बिस्वा

[illegible] नोटिफिकेशन में खसरा नम्बर 34 रकबा 0 बीघा 1 बिस्वा [illegible] 35 रकबा 0 बीघा 0 बिस्वा की [illegible] के नाम खातेदारी दर्ज है। केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस [illegible] को दिनांक [illegible] को जारी किया गया जो [illegible] रिपोर्ट के अनुसार [illegible] नोटिस तामील कराया गया दिनांक 11.1.91 को [illegible] उपस्थित [illegible] क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक [illegible] को भी [illegible] उपस्थित होते हुये क्लेम पेश नहीं किया। दिनांक 12.6.91 को [illegible] क्लेम पेश किया।

[illegible] ने जो दिनांक 12.6.91 को क्लेम पेश किया है [illegible] 30,000/- [illegible] कोई [illegible] प्रस्तुत नहीं किये हैं। [illegible] 14 [illegible] की मांग की है [illegible] कोई [illegible] पेश नहीं किये हैं। [illegible] 1,21,000/- की मांग की है [illegible] 1,10,000/- की मांग की है। [illegible] 21,000/- रु. की मांग की है।

[illegible] कोई [illegible] पेश किये है और न ही कोई [illegible] प्रस्तुत किये हैं। [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण [illegible] कोई [illegible] नहीं [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण [illegible] है। [illegible] राशि [illegible] अस्वीकार है।

[illegible] दिनांक [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण [illegible] पेश [illegible] है [illegible]

[illegible] क्लेम पेश [illegible] दिनांक 12.6.91 [illegible] क्लेम पेश किया [illegible] 12.6.91 [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण [illegible] कोई [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण [illegible] कोई [illegible] नहीं है।

[illegible] प्राधिकरण को [illegible] किया जावे । अतः अब [illegible] दोनों प्रार्थीगण [illegible] किये जाते है ।

मुकदमा नंबर-377/93 ख०नं० 00 रकबा 04बिस्वा, 01 रकबा 07बीघा 10बिस्वा, 02 रकबा 03बिस्वा, 03 रकबा 07बीघा 10बिस्वा, 08 रकबा 01बीघा 16बिस्वा

धारा 4 के तहत नोटिफिकेशन में ग्राम [illegible] खसरा 00 रकबा 04बिस्वा, 01 रकबा 07बीघा 10बिस्वा, 02 रकबा 03बिस्वा, 03 रकबा 07बीघा 10बिस्वा, 08 रकबा 01बीघा 16बिस्वा भूमि की [illegible] के नाम खातेदारी दर्ज है । केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9 एवं 10 के नोटिस खातेदार/हितबद्ध व्यक्तियों को दिनांक 09.11.90 को जारी किये गये जिनके तहत दिनांक 10.12.91 को खातेदार [illegible] की तरफ से श्री हनुमान प्रसाद अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । अन्य हितबद्धों उपस्थित नहीं हुये । दिनांक 25.3.91 को खातेदार की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः धारा 9 एवं 10 के नोटिस राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक नवज्योति समाचार पत्रों में दिनांक 30.4.91 को प्रकाशित कराया गया । दिनांक 13.5.91 को खातेदार [illegible] की तरफ से श्री हनुमान प्रसाद अभिभाषक उपस्थित हुये । दिनांक 30.5.91 को खातेदार [illegible] के पुत्र [illegible] उपस्थित हुये । खातेदार [illegible] की तरफ से कोई उपस्थित नहीं हुआ अतः [illegible] के विरुद्ध एक-तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई । दिनांक 3.5.91, 25.5.91 को भी श्री हनुमान अभिभाषक उपस्थित हुये लेकिन क्लेम पेश नहीं किया । दिनांक 1.6.91 को खातेदार की तरफ से [illegible] उपस्थित हुये लेकिन कोई क्लेम पेश नहीं किया । [illegible] दिनांक [illegible] को श्री हनुमान प्रसाद [illegible] अभिभाषक उपस्थित होकर खातेदार की तरफ से क्लेम पेश किया ।

प्रशासित अधिकारी
विकास योजना
जयपुर

श्री हनुमान प्रसाद अभिभाषक ने अपने क्लेम में [illegible] आपत्तियाँ भी अंकित की है, जो कि धारा [illegible] की कार्यवाही से पूर्व पेश करनी चाहिये थी । इन आपत्तियों पर अब विचार नहीं किया जा सकता । अतः क्लेम में अंकित आपत्तियाँ खारिज की जाती है ।

श्री हनुमान प्रसाद [illegible] अभिभाषक ने जो क्लेम दिनांक 1.6.91 को पेश किया है उसमें [illegible] भूमि का मुआवजा 93,27,400/-रु० की मांग की है । कुआ, विद्युत पम्प एवं [illegible] आदि की क्षतिपूर्ति राशि 1,02,000/-रु० [illegible] आदि की क्षतिपूर्ति राशि 23,000/- [illegible] आदि की क्षतिपूर्ति राशि 6,000/- [illegible] की क्षतिपूर्ति राशि 24,000/-रु० [illegible] का मुआवजा 2,50,000/-रु० [illegible] का मुआवजा 10,000/-रु० , कृषि उपकरणों [illegible] का मुआवजा 14,000/-रु० [illegible] का मुआवजा 23,202/-रु० की क्षतिपूर्ति राशि की मांग की है ।

उक्त सभी मामलों में [illegible] खातेदार [illegible] की तरफ [illegible] प्रमाणित [illegible] प्रस्तुत नहीं किये है [illegible] क्षेत्र [illegible] प्रतिकर [illegible] धारा 4 के तहत नोटिफिकेशन सन् 1985 [illegible] होने के कारण [illegible] नहीं है । [illegible] प्रतिकर [illegible] के अनुसार है । [illegible] अस्वीकार है ।

[illegible]

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनाएं
जयपुर

....16.

उक्त प्रकरणों में केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 9(1) के अन्तर्गत सार्वजनिक नोटिस दिनांक 27.4.91 को जारी किये गये थे [illegible] द्वारा संबंधित [illegible], [illegible], नोटिस बोर्ड, ग्राम पंचायतों पर इसकी [illegible] किये गये व चस्पा कराये गये।

<u>मुआवजा निर्धारण:-</u>

जहाँ तक पृथ्वीराज नगर योजना में मुआवजा निर्धारण का प्रश्न है नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के आदेश क्रमांक प-5(15)नविआ/87 दिनांक 1.1.87 द्वारा मुआवजे की राशि निर्धारण करने के लिये राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन शासन सचिव, राजस्व विभाग की अध्यक्षता में किया गया था लेकिन उक्त कमेटी द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में से किसी भी ग्राम के मुआवजे की राशि का निर्धारण नहीं किया। इस संबंध में इस कार्यालय के पत्र क्रमांक 333-335 दिनांक 1.8.91 द्वारा शासन सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर, सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, को निवेदन भी किया गया था कि राज्य सरकार द्वारा गठित कमेटी से मुआवजे निर्धारण की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराई जावे। इसके उपरान्त समय-समय पर अर्द्धशासकीय निवेदन में भी मुआवजा निर्धारण के लिए निवेदन किया गया लेकिन कमेटी द्वारा कोई मुआवजा निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है।

इसी प्रकार जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा पृथ्वीराज नगर योजना के 22 ग्रामों में स्थित भूमि के किसी भी खातेदार/हितधारी को बुलाकर नेगोसियेशन नहीं किया गया।

विभिन्न राज्यों के उच्च न्यायालयों द्वारा समय-समय पर जो निर्णय कृषि भूमि के मुआवजे निर्धारण के बारे में प्रतिपादित किये हैं उनमें कृषि भूमि के मुआवजे के निर्धारण का तरीका धारा 4 के गजट नोटिफिकेशन के समय रजिस्ट्रियों द्वारा उस क्षेत्र में पंजीकृत दर के अनुसार निर्धारण माना गया है। पृथ्वीराज नगर योजना में धारा 4 का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 7.7.88 को हुआ था इसलिये विभिन्न राज्यों के माननीय उच्च न्यायालयों के निर्णय के परिपेक्ष में 7 जुलाई, 1988 को विभिन्न उप-पंजीयकों के यहाँ पृथ्वीराज नगर योजना के क्षेत्र में भूमियों की रजिस्ट्रेशन की क्या दर थी उस पर विचार करने के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं रहता है।

[illegible]

उपरोक्त सभी प्रकरणों के खसरा नम्बरों की भूमि के मुआवजे की मांग जो प्रार्थीगण द्वारा की गई है, के संबंध में जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री [illegible] का कथन है कि प्रार्थीगण ने जो मुआवजे की मांग की गई है वह बहुत अधिक है इसलिये [illegible] में इस न्यायालय द्वारा इसके आस-पास की भूमियों का मुआवजा 24,000/- प्रति बीघा की दर से निर्धारण किया गया है अतः उक्त सभी मामलों में भी 24,000/- रु0 प्रति बीघा की दर से मुआवजा दिया जाना उचित

होगा ।

लेकिन रेवेन्यू रिकार्ड के विवरण के अनुसार इस क्षेत्र में जयपुर विकास प्राधिकरण जिसके लिए भूमि अवाप्ति की जा रही है [illegible] जयपुर विकास प्राधिकरण के सचिव ने पत्र क्रमांक प०डी०/जेडीए/91/336/दिनांक [illegible].91 द्वारा इस केस में सूचित किया है कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय ग्राम [illegible] की बाजारदर में 10,000/- रु. प्रति बीघा के अनुसार भूमियों का बेचान हुआ था इसलिये [illegible] इसके [illegible] है यह दर उचित है ।

इसी सम्बन्ध में उप पंजियक एवं तहसीलदार तहसील आमेर के यहां से अपने स्तर पर भी जानकारी प्राप्त की गई तो ज्ञात हुआ कि धारा 4 के नोटिफिकेशन के समय भूमि की दर इससे अधिक नहीं थी । तहसीलदार जयपुर विकास प्राधिकरण ने भी अपने यू.ओ.नोट दिनांक [illegible].91 द्वारा सन् 1987 की दर 6000/- प्रति बीघा दर्शायी है लेकिन सन् 1988-89 की दर से सूचित नहीं किया गया ।

लेकिन इस न्यायालय द्वारा पूर्व में भी इस क्षेत्र के आसपास की भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से अवार्ड जारी किये गये जिनका अनुमोदन राज्य सरकार से भी प्राप्त हो चुका है। जयपुर विकास प्राधिकरण के अभिभाषक श्री के.पी.[illegible] ने कोई लिखित में उत्तर नहीं देकर मौखिक रूप से यह निवेदन किया है कि यदि मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से तय की जाती है तो जयपुर विकास प्राधिकरण को कोई आपत्ति नहीं है । क्योंकि कुछ समय पूर्व भी इसी न्यायालय द्वारा इस भूमि के आसपास के क्षेत्र में 24,000/- प्रति बीघा की दर से अवार्ड पारित किये गये हैं ।

अतः इस मामले में भी इस भूमि का मुआवजा राशि 24,000/- प्रति बीघा की दर से दिया जाना उचित मानते है एवं यह भी मानते है कि धारा 4 के तहत नोटिफिकेशन के समय भूमि की कीमत यही थी ।

जहां तक पेड़-पौधों एवं अन्य स्ट्रक्चर्स का प्रश्न है जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा तकनीकी रूप से अनुमोदित तखमीना अभी तक पेश नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में पेड़ पौधे एवं अन्य स्ट्रक्चर्स के मुआवजे का निर्धारण नहीं किया जा रहा है । जयपुर विकास प्राधिकरण से तकनीकी एवं अनुमोदित तखमीना प्राप्त होने पर उस पर विचार कर नियमानुसार मुआवजे का निर्धारण किया जावेगा ।

इस तरह उक्त सभी बातों से भूमि के मुआवजे का निर्धारण तो 24,000/- रु. प्रति बीघा की दर से करते है लेकिन मुआवजा का भुगतान विधिक रूप से आवश्यक मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजात पेश करने पर ही किया जावेगा । मुआवजे का निर्धारण परिशिष्ट "अ" के अनुसार जो इस अवार्ड का भाग है निर्धारित किया जा रहा है ।

केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 23(1क) एवं 23(2) के अन्तर्गत मुआवजे की अवार्डेड राशि ... पर नियमानुसार 30% क्षतिपूर्ति तोषण एवं 12% प्रतिवर्ष अतिरिक्त राशि भी देय होगी जिसका निर्धारण परिशिष्ट "ब" में मुआवजे की राशि के साथ दर्शाया गया है।

अतिरिक्त निदेशक(सम्पत्ति) एवं सक्षम अधिकारी, नगर भूमि एवं भवन कर विभाग ने अपने पत्र क्रमांक 918 दिनांक 31.5.91 द्वारा इस कार्यालय को सूचित किया है कि पृथ्वीराज नगर योजना के समस्त 22 ग्राम जयपुर नगर संकुल सीमा में सम्मिलित है एवं अरबन अधिनियम 1976 से प्रभावित है। लेकिन उन्होंने यह सूचना नहीं दी है कि अरबन अधिनियम की धारा 10(3) की अधिसूचना प्रकाशित करवा दी है अथवा नहीं ऐसी स्थिति में अवार्ड केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम के अन्तर्गत पारित किये जा रहे हैं।

ये अवार्ड आज दिनांक 12.6.91 को पारित कर राज्य सरकार को अनुमोदनार्थ प्रेषित किये जा रहे हैं।

[illegible] 3374C

भूमि अवाप्ति अधिकारी
भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

27/7/91

राज्य सरकार के पत्र क्रमांक F6(15) नविआ/87/पार्ट दिनांक 25/7/91 द्वारा अवार्ड अनुमोदित होकर प्राप्त हुआ है। मुकदमा नं. 613/88 के खसरा नं. 180, मु.नं. 559/88 के खसरा नं. 1, मु.नं. 624/88 के खसरा नं. 54, 55, मु.नं. 564/88 के खसरा नं. 2, 3, 10, मु.नं. 565/88 के खसरा नं. 12 मु.नं. 582 के खसरा नं. 111, 112, 113, 128, 129 की भूमि के अवार्ड पास करने पर मा. उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश होने के कारण अवार्ड घोषित नहीं किया जा रहा है। अन्य मु.नं. 579/88 के खसरा नं. 80, 81, 82, 83, 88 मु.नं. 596 के खसरा नं. 134, 135, 137, 138, 139 मु.नं. 607/88 के खसरा नं. 153, 154/2, 155, 156, 158, 160, 157 मु.नं. 605/88 के खसरा नं. 149, 150, एवं 159 (परन्तु स्थगन आदेश जारी होने के कारण [illegible]) का अवार्ड [illegible] दिनांक 27/7/91 को खुले इजलास घोषित किया गया एवं कार्यवाही किया गया।

27/7/91

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

प्रमाणित प्रतिलिपि

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

परिशिष्ट 'ब'

क्रमांक	मुकदमा नम्बर	नाम खातेदार	खसरा नं०	रकबा बी० बि०	मुआवजा दर प्रति बीघा	भूमि का मुआवजा	सोलेशियम 30%	अतिरिक्त 12%	कुल मुआवजा राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	322/83	श्री चौथमल पि० कु० मन्ना आदि माली सा० ...	111 112 113 128 129	04-12 00-14 01-13 02-13 01-03 10-15	24,000/-	2,59,200/-	77,760/-	91,236/-	4,28,196/-
[illegible]		श्री छोटू पु० गोपाल आदि माली सा० ...	1	04-09	24,000/-	1,06,800/-	32,040/-	37,594/-	1,76,434/-
3.	363/83	श्री चौथमल पि० कु० मन्ना 1/2, प्रभाती पुत्री मन्ना पि० हनुमान पि० 1/2, आदि माली सा० ...	12	22-18	24,000/-	5,49,600/-	1,64,880/-	1,93,459/-	9,07,939/-
4.	3[illegible]2/83	श्री ... सिंह, रामसिंह, ... सिंह, ... सिंह, ... सिंह, ... 1/2, ... 1/4, राजपूत सा० ...	134 135 137 138 139	03-11 00-02 05-10 00-09 00-12 12-13	24,000/-	3,03,600/-	91,080/-	1,06,867/-	501547/-

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5.	564/33	श्री [illegible] पुत्र [illegible]	2	03 - 00					
			3	00 - 02					
			10	04 - 12					
				10 - 14	24,000/-	2,56,800/-	77,040/-	90,394/-	4,24,234/-
6.	603/33	श्री [illegible]	143	00 - 02					
		[illegible]	153	00 - 04					
		[illegible]	151	00 - 08					
		[illegible]		00 - 14	24,000/-	16,800/- (16,800/-)	5,040/- (5,040/-)	5,914/-	27,754/-
		[illegible] 1/2, [illegible]							
		[illegible] 1/2,							
		[illegible]							
	607/-	श्री [illegible] पुत्र [illegible]	153	04 - 02					
		[illegible] 1/2, [illegible] पुत्र [illegible]	154/2	01 - 15					
		1/2, [illegible]	155	00 - 02					
			156	01 - 00					
			157	00 - 02					
			158	00 - 13					
			160	00 - 16					
				08 - 12	24,000/-	2,06,400/-	61,920/-	72,653/-	3,40,973/-

प्रमाणित प्रतिलिपि

भूमि अवाप्ति अधिकारी
[illegible] जयपुर

133331
133332
133333

.......3.

-68-

-3-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8.	613/30	श्री [illegible] पि॰ [illegible]	130	10 - 00	24,000/-	[illegible] 2,40,000/-	[illegible] 72,000/-	[illegible] 84,420/-	[illegible] 3,96,420/-
9.	624/-	श्री [illegible] पुत्र [illegible] [illegible]	94	01 - 11					
			95	06 - 02					
				07 - 13	24,000/-	1,83,600/- 183600/-	~~55,080/-~~ 55080/-	~~[illegible]~~ 64,627/-	~~3,0[illegible],307/-~~ 303307/-
10.	579/30	श्री [illegible] पुत्र [illegible] [illegible]	80	00 - 04					
			81	07 - 13					
			82	00 - 03					
			83	07 - 10					
			83	09 - 16					
				25 - 11	24,000/-	6,13,200/-	1,83,960/- 183960/-	2,15,846/- 215846/-	10,13,006/- 1013006/-

प्रमाणित प्रतिलिपि

1. नोट:- सोलेशियम 30% राशि कॉलम नम्बर 8 पर जमा की गई है।

2. अतिरिक्त राशि 12% की गणना कॉलम नम्बर 9 पर दिनांक 7-7-83 से 12-5-91 तक की गई है।

35 months. 6 days.

भूमि अवाप्ति अधिकारी
नगर विकास योजनायें
जयपुर

292